कार्यालय उप वन संरक्षक, जालौन सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उरई।

पत्रांक –1739 / 33-1 / उरई, दिनांक मार्च 31, 2021।

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त उ0प्र0 झांसी।

विषयः– जनपद जालौन में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–25 (उरई–ऐट मार्ग) के किमी0 250.00 से किमी0 178.00 एवं एम0डी0आर0 सं0–27 बी (कोच–नदीगांव) के कि0मी0 0.00 से किमी0 21.00 तक कुल लम्बाई 93.00 किमी0 एवं 0.9802 हे0 वन भूमि में भूमिगत आप्टिकरल फाइवर केबिल बिछाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ– **मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 2139/11 सी FP/UP/OTHERS/40442/2019 दिनांक 24.02.2021।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रस्ताव सं0 FP/UP/OTHERS/40442/2019 का में आप द्वारा बिन्दु सं0 1 से 4 तक आपत्ति लगायी गयी थी। जिसकी बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है:–

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1	प्रस्ताव में संलग्न किये गये इस कार्यालय के पत्रांक–343/11 सी, दिनांक 14.08.2020 के कम में वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु वन संरक्षक द्वारा पुनः प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	सुसंगत प्रमाण पत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी और वन संरक्षक दोनों के ही हस्ताक्षर मोहर सहित होने हैं। (सुसंगत प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।)
2	हार्डकापी भाग–2 में आगरा वन प्रभाग में पुनः क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराया जाना प्रस्तावित बताया गया है, जबकि प्रस्ताव में संलग्न अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि 20 कि.मी. में आगरा वन प्रभाग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराया जा चुका है। अतः हार्डकापी भाग–2 में तदानुसार संशोधित कर आनलाइन भाग–2 में अपलोड करें तथा Additional Informational Detail से पुराना हार्डकापी भाग–2 डिलिट करें।	Additional Informational Detail से पुराना हार्डकापी भाग–2 डिलिट करना है तथा संशोधित हार्डकापी भाग–2 अपलोड करना है। (संशोधित हार्डकापी भाग–2 की प्रति संलग्न है।)
3	प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित नहीं है। अतः आनलाइन भाग–2 के कमांक–13 (i), (ii), (iii), (iv) एवं (v) में अपलोड किया गया प्रस्तावित स्थल से सम्बन्धित सभी डाटा एवं के0एम0एल0 फाइल आदि डिलिट करें।	आनलाइन भाग–2 के कमांक–13 (i), (ii), (iii), (iv) एवं (v) में अपलोड किया गया प्रस्तावित स्थल से सम्बन्धित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का सभी डाटा एवं के0एम0एल0 फाइल आदि डिलिट करना है। इस पेज पर कोई भी डेटा नहीं भरते हुए next का बटन दबाना है।
4	Additional Informational Detail में अपलोड किये गये संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में तिथि अंकित नहीं है। अतः तिथि सहित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट आनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।	Additional Informational Detail से पुराना संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट डिलिट करना है तथा संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर तिथि अंकित करते हुये उसे फिर से Additional Informational Detail में अपलोड करना है।

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः तीन प्रतियों में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनाधिकारी,
जालौन सा0वा0, वन प्रभाग उरई।

F:\Forest\Survey Ameen Feb 2017-18\Covering Latter Bandobst 2018.doc